9 जनवरी, 2018 को अपराह्न 2:30 बजे सम्मेलन कक्ष, 5 वां तल, अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में आयोजित दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के शासी निकाय की पहली बैठक का कार्यवृत्त

प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम 2016 में दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के सृजन का प्रावधान है जो पहले के दो निधियों यानी दिव्यांगजनों के लिए निधि और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए न्यास निधि को सम्मिलित करेगी। इसके शासी निकाय का गठन 13.10.2017 को किया गया था। इसके बाद उन्होंने सुश्री डॉली चक्रवर्ती- जेएस, डीईपीडब्ल्यूडी से शासी निकाय के विचारार्थ कार्यसूची बिंदुओं का संक्षेप में उल्लेख करने का अनुरोध किया।

2. सुश्री डॉली चक्रवर्ती- संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने राष्ट्रीय निधि के सृजन की पृष्ठभूमि, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम/उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के संगत प्रावधानों, पूर्ववर्ती उपर्युक्त दो निधियों में उपलब्ध निधियों और सभी कार्यसूची मदों को शासी निकाय के विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। प्रस्तुति की एक प्रति **अनुबंध-II** में दी गई है।

3. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने कार्यसूची मद सं. 3 के संबंध में स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन के बारे में भी एक प्रस्तुति दी। प्रतिलिपि **अनुबंध-III** में दी गई है।

2. विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

कार्यसूची मद	**शासी निकाय के निर्णय/अवलोकन**
कार्यसूची मद 1: नई निधि के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जैसे कि नए पैन/टिन की आवश्यकता, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए/197 के तहत पंजीकरण आदि।	(i) विभाग निधि की कानूनी स्थिति की जांच करेगा अर्थात क्या यह डीएफएस के संयुक्त सचिव द्वारा सुझाए गए अनुसार एक सोसायटी या न्यास के रूप में कार्य करेगा। (ii) तद्नुसार, विभाग को निधि के निवेश के लिए प्रासंगिक दिशानिर्देशों (सोसायटी के निवेश के संबंध में डीईए के दिशानिर्देश और न्यास के मामले में भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 20) के अनुपालन की आवश्यकता है। (iii) नई राष्ट्रीय निधि के लिए पैन नंबर प्राप्त किया जाएगा तथा न्यास निधि और पुरानी राष्ट्रीय निधि का पैन नंबर सरेंडर किया जाएगा। (iv) पूर्व के मौजूद न्यास निधि के मौजूदा खातों का नाम बदलकर राष्ट्रीय निधि कर दिया जाएगा और इस खाते के साथ दिव्यांगजनों के लिए पहले की निधि के खातों का विलय किया जाएगा। (v) जब तक खातों का विलय नहीं हो जाता, तब तक व्यय न्यास निधि के मौजूदा बैंक खाते से किया जाएगा। (vi) राष्ट्रीय निधि के लिए टिन (टीआईएन) प्राप्त किया जाएगा और पूर्ववर्ती निधियों का टिन (टीआईएन) वापस कर दिया जाएगा।

	(vii) आईटी अधिनियम की धारा 12 (क) के तहत पंजीकरण के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। (viii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी की क्षमता में संयुक्त सचिव (डीसी), डीईपीडब्ल्यूडी को राष्ट्रीय निधि की ओर से उपर्युक्त सभी कार्यों को पूरा करने के लिए हस्ताक्षर प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी अधिकारी को नामित करने के लिए अधिकृत किया गया है।
कार्यसूची मद 2: सावधि जमा के रूप में उपलब्ध निधि के निवेश का तरीका तय करना ताकि अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके।	i. 250 करोड़ रुपये की राशि को कॉर्पस के रूप में माना जाए और इसे आरबीआई बॉन्ड / एफडी में निवेश किया जाएगा। ii. 44 करोड़ रुपये (अनंतिम) की शेष निधि को एक फ्लेक्सी खाते में और एक सामान्य बचत खाते में नियमित खर्चों को पूरा करने के लिए रखा जाएगा। iii. शासी निकाय अगली बैठक में अपनी स्थिति की समीक्षा करेगा और निवेश नीति की भविष्य की दिशा तय करेगा।
कार्यसूची मद 3: मौजूदा योजनाओं/कार्यक्रमों को जारी रखने के मुद्दे :- क) स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा योजना और इसे राष्ट्रीय न्यास द्वारा संचालित निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ विलय करना। ख) छात्रवृत्ति योजना जिसे एनएचएफडीसी द्वारा आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के नियम 42 (5) (क) के अनुरूप लागू किया जा रहा है।	क.1. सुश्री डॉली चक्रवर्ती-संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों वाली एक समिति मौजूदा स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा करेगी और पीडब्ल्यूडी के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए नए तंत्र का सुझाव भी देगी। • सुश्री डॉली चक्रवर्ती- संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी... अध्यक्ष • श्री प्रबोध सेठ - संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग • विशेष महानिदेशक, डीजीएचएस के प्रतिनिधि • सुश्री गायत्री मिश्रा - संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय • डॉ. दिनेश चंद्र जोशी- निदेशक, सीजीएचएस • श्री मदनेश कुमार मिश्रा- संयुक्त सचिव, डीएफएस • श्री डी. आर. सरीन, सीएमडी, एनएचएफडीसी/एलिम्को समिति दो महीने की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। क.2 निधि की कमी को ध्यान में रखते हुए, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को सूचित किया जाए कि स्वावलंबन योजना के अंतर्गत नवीकरण/नए नामांकन के लिए निधि प्रदान करना संभव नहीं होगा। उन्हें आवेदकों से हिस्से के 10% के रूप में प्राप्त शुल्क के बारे में स्वयं निर्णय लेना होगा। क.3 एक बार समिति अपनी सिफारिशें देगी तो नई योजना/कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है। ख.1 जहां तक एनएचएफडीसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही छात्रवृत्ति योजना का संबंध है, मौजूदा छात्रों को उनके पाठ्यक्रमों की शेष अवधि को पूरा करने के प्रति दायित्व को राष्ट्रीय निधि से 26,07,80,000/- रुपये की राशि से पूरा किया जा सकता है जिसे 2021-22 तक जारी किया जाएगा। इस राशि में से 16,51,41,000/- रुपये चालू वित्त वर्ष के दौरान 2799 एसडब्ल्यूडी के लिए छात्रवृत्ति राशि के रूप में जारी किए जाए।

<table>
<tr><td></td><td>ख.2 यह राशि एनएचएफडीसी की आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर/वर्षवार जारी की जाएगी।</td></tr>
<tr><td></td><td>ख.3 एनएचएफडीसी को प्रशासन शुल्क के लिए प्रत्येक वर्ष जारी की गई छात्रवृत्ति राशि का 2% भुगतान किया जाए।

ख.4 एनएचएफडीसी नए आवेदकों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के तहत आवेदन करने की सलाह देगा।</td></tr>
<tr><td>कार्यसूची मद 4:
पूर्ववर्ती न्यास निधि/राष्ट्रीय निधि के मौजूदा सीए की सेवाओं को एक और वर्ष के लिए जारी रखना।</td><td>मेसर्स दुबे पांडे एंड कंपनी की सेवाओं को मार्च, 2019 तक एक वर्ष की अवधि के लिए 3.5 लाख रुपये के वार्षिक समेकित पेशेवर शुल्क के साथ बनाए रखा जाए। पुराने आयकर मामलों को आगे बढ़ाने के लिए, एजेंसी को मामला-दर-मामला आधार पर अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।..</td></tr>
<tr><td>कार्यसूची मद 5:
अन्य सभी मौजूदा गतिविधियां जैसे सर्वेक्षण अध्ययन, आयकर मामला/मांग।</td><td>क. डीईपीडब्ल्यूडी के सचिव को मैसर्स सेंटर फॉर मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रस्तुत मसौदा रिपोर्ट की स्वीकृति के संबंध में एजेंसी से प्रस्तुतीकरण के बाद निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है और तदनुसार निधि जारी की जाएगी।

ख. सीए एजेंसी पूर्ववर्ती निधि न्यास और पुरानी निधि से संबंधित पुराने आयकर मामलों के लिए आयकर विभाग के साथ आगे की कार्रवाई करेगी।</td></tr>
<tr><td>कार्यसूची मद 6:</td><td>श्री गुलशन कुमार वर्मा, सहायक और सुश्री पूजा मलिक, डीईओ जो पहले न्यास निधि के तहत काम कर रहे थे, अब राष्ट्रीय निधि के तहत काम करना जारी रखेंगे। दोनों स्टाफ सदस्य सहायक के रूप में काम करेंगे।

श्री गुलशन कुमार वर्मा और सुश्री पूजा मलिक को पिछले संविदा दर के अनुसार नवंबर और दिसंबर 2017 के महीने के लिए क्रमशः 25,000 रुपये और 18,000 रुपये प्रति माह का पारिश्रमिक मिलेगा।

वे नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 01.01.2018 से एक वर्ष के लिए निम्नलिखित दर पर संशोधित पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे:-
<table>
<tr><th>नाम</th><th>मासिक पारिश्रमिक</th><th>कुल मासिक भुगतान</th></tr>
<tr><td>श्री गुलशन कुमार वर्मा</td><td>रुपये 25,000/- की दर से + रुपये 2000/- रूपये वाहन व्यय</td><td>रुपये 27,000 /-</td></tr>
<tr><td>सुश्री पूजा मलिक</td><td>रुपये 20,000/- की दर से + रुपये 2000/- रूपये वाहन व्यय</td><td>रुपये 22,000 /-</td></tr>
</table>
उनकी सेवा के अन्य नियम और शर्तें समान रहेंगी।विभाग नीचे दिए गए विवरण के अनुसार राष्ट्रीय निधि के तहत लेखाकार और एक कार्यक्रम अधिकारी को भी नियुक्त करेगा:</td></tr>
</table>

	पद	आवश्यकता	मासिक पारिश्रमिक
	कार्यक्रम अधिकारी (01 पद)	**योग्यता**: किसी प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सामाजिक कार्य/समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर या विशेष शिक्षा में एम.एड किया हो। **अनुभव**: संबंधित क्षेत्र/दिव्यांगता सेक्टर में कम से कम दो वर्षों का प्रासंगिक अनुभव। सरकारी क्षेत्र में अनुभव रखने वालों को वरीयता दी जाएगी।	**वेतन** :रु. 50,000/- + रु. 3000/- वाहन = रु. 53,000/-
	लेखाकार (01 पद)	**योग्यता**: किसी प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से वाणिज्य या संबंधित पाठ्यक्रमों में स्नातक की डिग्री। अनुभव: कम से कम दो वर्षों के लिए संबंधित क्षेत्र में प्रासंगिक अनुभव। सरकारी क्षेत्र में कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले को वरीयता दी जाएगी।	वेतन : रु. 35,000/- + रु. 3000/- वाहन = रु. 38,000/-
कार्यसूची मद 7: अन्य	विभाग को दिव्यांगजनों के कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी संग्रहालय का समर्थन करने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्कृति/खेल आयोजनों को बढ़ावा देने, समावेशी शैक्षिक केंद्र विकसित करने, उच्च सहायता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रावधान करने आदि जैसे अभिनव क्षेत्रों का पता लगाने की आवश्यकता है। कार्यसूची मद 3 के अनुसार गठित की जाने वाली प्रस्तावित समिति, अन्य बातों के साथ-साथ उन अन्य गतिविधियों को भी करेगी जिन्हें राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत वित्तपोषित किया जा सकता है और इन गतिविधियों को सहायता प्रदान करने के लिए निधि से सहायता की सीमा का सुझाव देगी।		

3. शासी निकाय की अगली बैठक तीन महीने के भीतर आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

4. बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव देने के साथ समाप्त हुई।

****

अनुबंध-I

प्रतिभागियों की सूची

1. सुश्री शकुंताला डी. गामलिन, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी........... अध्यक्ष
2. सुश्री डॉली चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी
3. श्री डी.आर. सरीन – सीएमडी, एनएचएफडीसी
4. श्री के.वी.एस. राव, निदेशक, डीईपीडब्ल्यूडी
5. डॉ. कमलेश कुमार पांडेय, सीसीपीडी/चेयरपर्सन राष्ट्रीय न्यास
6. श्री क्षितिज मोहन, निदेशक (आईएफडी), डीईपीडब्ल्यूडी
7. श्री मदनेश कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय
8. सुश्री प्रीति नाथ, आर्थिक सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
9. श्री डी.के. पंडा, अवर सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी
10. श्री. वेन्नापूसा श्रीनिवासुलू रेड्डी, आंध्र प्रदेश
11. श्री अमित शर्मा, चंडीगढ़
12. श्री गौरी शंकर- वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
13. श्री रवि सेठी - ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
14. सुश्री किरण गुप्ता- वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी
15. श्री आर.के. ढींगरा-सहायक प्रबंधक, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी
16. श्री अरविंद दुबे, सीए, मेसर्स दुबे पांडे एंड कंपनी